



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 55-काविनी एवं वे0प्र0-29 / पाकालि / 2010-07 काविनी एवं वे0प्र / 09 दिनांक 20 जनवरी, 2010

समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-1 एवं II),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियंता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

विषय:- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन एवं उसकी वितरण कम्पनियों के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित किये जा चुके हैं, को दिनांक 01 जुलाई, 2009 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या 646-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/08-17-काविनी एवं वे0प्र0/08 दिनांक 22 जून, 2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश है कि दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में कारपोरेशन के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2009 से निम्नानुसार बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा :-

तिथि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की मासिक दर
01 जुलाई, 2009	मूल वेतन का 27 प्रतिशत

- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन तथा अनुमन्य ग्रेड वेतन के योग से होगा, किन्तु नियमित वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा, परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- मंहगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
- इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएं चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

(कमश: -2)

5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे और उससे अधिक को अगले उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2009 एवं अग्रेतर भुगतान/ अवशेषों की देयता की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाएगी :-

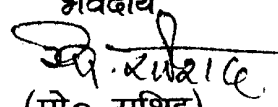
I- दिनांक 01 जुलाई, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक की महंगाई भत्ते की देय अवशेष धनराशि, अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जनवरी, 2010 से जमा माना जायेगा और इसी तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व निकाला नहीं जा सकेगा।

II- यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है, तो उसे, उक्त अवशेष धनराशि, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन०एस०सी०) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।

III- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 जून, 2010 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते की बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

IV- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2010 (माह जनवरी, 2010 का भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2010 को देय) से नकद किया जायेगा।

7. उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उप महाप्रबंधक (लेखा) द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय

 (मो० राशिद)
 संयुक्त सचिव (काबिनी)
 24/7